

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर



(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. A-1125

/शिक्षा/2020

बिलासपुर, दिनांक 22/12/2020

/सूचना/

1. दिनांक 29/12/2020 के सायं काल 07:00 बजे तक रिक्त सीट की जानकारी वेब साइट पर अपलोड की जाएगी।
2. दिनांक 30/12/2020 को 2:00 P.M. तक प्रतीक्षा सूची से मैरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची अनुसार अभ्यर्थी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित रहें।
3. यदि 31/12/2020 तक सीट रिक्त रहती है, तो उस दिन भी 2:00 P.M. तक प्रतीक्षा सूची से मैरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची अनुसार अभ्यर्थी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित रहें।

आदेशानुसार

विभागाध्यक्ष
शिक्षा विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22/12/2020

क्र. A-1126/शिक्षा./2020

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सचिव को कुलसचिव को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
4. वेब सेल विभाग प्रमुख को सूचनार्थ।

विभागाध्यक्ष
शिक्षा विभाग

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

E अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अध्ययन केन्द्र आवंटन के पश्चात् काउंसिलिंग के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे :-

बी.एड. हेतु -

1. अभ्यर्थी प्रवेश काउंसिलिंग के लिए अपने द्वारा पूर्व में काउंसिलिंग हेतु कराये गये ऑनलाईन काउंसिलिंग आवेदन की आर्डरकोपी लाना अनिवार्य है।
2. वि.वि. द्वारा जारी स्वयं के बी.एड. प्रवेश हेतु आवंटित अध्ययन केन्द्र की डाउनलोड की हुई सूची।
3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्री बी.एड. प्रवेश परीक्षा की अंकसूची। (वि.वि. द्वारा जारी प्रवेश परीक्षा परिणाम की उस पृष्ठ की डाउनलोड की हुई कॉपी जिसमें संबंधित छात्र के अंक का विवरण हो)
4. माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची।
5. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची।
6. स्नातक की अंकसूची - तीनों वर्ष की (बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक सामान्य वर्ग के लिए तथा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पी.डब्ल्यू.डी. वर्ग के लिए मान्य)
7. सेवारत अध्यापक होने की स्थिति में डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.सी./डी.पी.ई अथवा अध्यापक शिक्षा का एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
 - 7.1 यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
8. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) मूल प्रति में प्रवेश सुनिश्चित होने के बाद जमा कराना होगा।
9. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
10. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी/संस्था द्वारा जारी विकलांगता/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र।
11. विवाह के पश्चात् नाम परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।
12. अध्यापन अनुभव प्रमाण-पत्र - सतत अध्यापन करते रहने का अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा एवं जिला शिक्षा अधिकारी अथवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्यता प्रमाणित हो। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप आगामी पृष्ठों में दिया गया है।
13. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ ।
14. अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र (10/- रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवे)
15. जिन छात्रों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु. 1100/- का बैंक बालान प्रवेश के समय जमा करना होगा।